## नियम 5 : धारा 12(7) के अधीन, भिन्न–भिन्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति

उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन, भिन्न–भिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति,–

**(क)** किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, खेल–कूद, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या मनोरंजन समारोह के आयोजन के रुप में दी गई सेवाएं जिसके अंतर्गत किसी सम्मेलन, मेला, प्रदर्शनी, अनुष्ठान या इसी प्रकार के समारोहों के संबंध में सेवाओं की पूर्ति भी है; या

**(ख)** किसी ऐसे समारोह को आयोजित करने के लिए अनुषंगी सेवाएं या ऐसे समारोहों के प्रायोजन का समनुदेशन,

के मामले में, जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को सेवाओं की पूर्ति की जाती है, समारोह भारत में एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आयोजित किया जाता है और ऐसे समारोह से संबंधित सेवाओं की पूर्ति के लिए संचित रकम प्रभारित की जाती है वहां सेवाओं की पूर्ति प्रत्येक क्रमिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में होने के रूप में होगी और यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सेवाओं को पृथक रूप से संगृहीत करने या उनके मूल्य का अवधारण करने के लिए सेवाओं के पूर्तिकार और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में साधारणतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के लागू होने के द्वारा अवधारित किया जाएगा।

**दृष्टांत :** एक समारोह प्रबंधक कंपनी 'ई' राज्य एस 1 और राज्य एस 2 में सेवा प्राप्तिकर्ता 'आर' के लिए कुछ अभिप्रेरणात्मक समारोह आयोजित करती है। 3 समारोह एस 1 में और 2 समारोह एस 2 में आयोजित होने हैं, उसने 10,00,000/– रु. की संचित रकम 'आर' से भारित की। साधारणतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के लागू होने के द्वारा अनुपात मानो 3:2 के रुप में पहुंचा। सेवाओं को क्रमशः एस 1 और एस 2 में 3:2 के अनुपात में प्रदान किया गया समझा जाएगा।

प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य इस प्रकार 6,00,000/– रुपए एस 1 में और 4,00,000/–रुपए एस 2 में प्रभाजित किया जाएगा।